



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 16, 2018/कार्तिक 25, 1940

No. 364]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 16, 2018/KARTIKA 25, 1940

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2018
संख्या 47 / 2015–2020

विषय: ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में।

फा० सं० 18/70/एएम-19/पी-5/पीसी-2 (ख) /ई-11280.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 2.16 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा 2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाण—पत्र/अनुमतियों/सीसीपी की वैधता अवधि जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो आयात/निर्यात प्राधिकार पत्रों को जारी करने की तिथि से वैधता अवधि निम्नानुसार होगी:

क्रम संख्या	प्राधिकार पत्र के प्रकार	वैधता अवधि
(iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	24 माह

2. इसके अलावा, ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों, जिन्हें इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने की तिथि से पूर्व जारी किया गया है तथा जिनकी वैधता इस सार्वजनिक सूचना के जारी किए जाने की तिथि को समाप्त नहीं हुई है, की आयात वैधता अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि से 24 माह तक बढ़ाई जाएगी। प्राधिकार पत्र धारकों को प्राधिकार पत्रों को पृष्ठांकन हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करना अपेक्षित है। क्षेत्रीय प्राधिकारी बिना किसी शुल्क के ऐसे पृष्ठांकन को अनुमत करेंगे।

इस अधिसूचना का प्रभाव:

ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि को 18 माह से बढ़ाकर 24 माह किया गया है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 16th November, 2018

No. 47 /2015-20

Subject: Extension of the Validity period of EPCG Authorisation-reg.

F.No. 18/70/AM-19/P-5/PC-2(B)/e-11280.—In Exercise of the powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-20, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in para 2.16 of the Hand Book of Procedures 2015-20:

Para 2.16 Validity Period of Authorisation/License/Certificate/Authorisation/Permissions/ CCPs

Validity period of Import / Export Authorisations from the date of issue shall be as follows, unless specified otherwise:

Sr.No.	Types of Authorisation	Validity Period
(iv)	EPCG Authorisation	24 months

2. Further, the import validity period of the EPCG Authorisations which have been issued prior to the date of issuance of this Public Notice and whose validity has not expired on the date of issuance of this Public Notice shall also be extended to 24 months from the date of the issuance of the Authorisation. The Authorisation holders are required to submit the Authorisations to the concerned RA for endorsement. The RAs shall allow such endorsement without insisting upon any fee.

Effect of this Public Notice:

(i) The validity period of the EPCG Authorisations has been extended from 18 months to 24 months.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.